

भारत नरिवाचन आयोग

प्रलिमिन्स के लिये:

भारत नरिवाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:

भारत नरिवाचन आयोग और उसके कार्य

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अपने एक हालिया नरिणय में इस बात का दावा किया है कि **चुनाव आयुक्तों/नरिवाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता के मामले में सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ केवल मौखिक हैं** क्योंकि जहाँ 1950 के दशक में मुख्य नरिवाचन आयुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से भी अधिक समय का हुआ करता था वहीं वर्ष 2004 से अब तक यह कार्यकाल घटकर 300 दिनों से भी कम का रह गया है।

भारत नरिवाचन आयोग:

परिचय:

- **भारत नरिवाचन आयोग** जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
 - चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 (**राष्ट्रीय मतदाता दविस** के रूप में मनाया जाता है) को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
 - यह देश में **लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिनसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** के चुनाव का संचालन करता है।
 - इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान अलग **संराज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान करता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- **भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 324:** चुनाव का अधीक्षण, नरिदेशन और नरिंतरण चुनाव आयोग में नरिहित है।
- **अनुच्छेद 325:** धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 326** लोकसभा और राज्यों की वधिनसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **अनुच्छेद 327:** वधिनसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
- **अनुच्छेद 328:** ऐसे वधिनमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के वधिनमंडल की शक्ति।
- **अनुच्छेद 329:** चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

ECI की संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे लेकिन **चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989** के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- **चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होंगे।
- वर्तमान में इसमें **CEC और दो चुनाव आयुक्त हैं।**
 - राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य नरिवाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है।

आयुक्तों की नयुक्ति और कार्यकाल:

- राष्ट्रपति **CEC** और चुनाव आयुक्तों की नयुक्ति करता है।
- उनका छह साल का एक नरिश्चिती कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
- इन्हें भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

नषिकासन:

- वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।
- सीमाएँ:
 - संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
 - संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
 - संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नयुक्त से वंचित नहीं किया है।

ECI की शक्तियाँ और कार्य:

- प्रशासनिक:
 - संसद के **परसीमन** आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव नरिवाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।
 - मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
 - **राजनीतिक दलों को मान्यता** प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
 - चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से वकिसति **आदर्श आचार संहिता** के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिये चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
 - यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव।
- सलाहकार कर्षेतराधिकार और अर्द्ध-न्यायिक कार्य:
 - संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों के चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकार अधिकार कर्षेतर है।
 - ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति या राज्यपाल, जसि ऐसी राय दी गई है, के लिये बाध्यकारी है।
 - इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, को इस सवाल हेतु आयोग की राय के लिये भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदि हाँ, तो किस अवधिके लिये।
 - आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित विवादों को नपिटाने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति निहित है।
 - आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में वफिल रहा है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के वकिस के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

स्रोत: द हदि